न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 11/2022

उनवान

1 रामलाल पुत्र देवा
2. बंशीलाल पुत्र देवा ,
3. कंचन रेखा ,
4. शोभा पुत्री देवा समस्त जातिगण माली निवासी रामसर तहसील नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. देवा पुत्र कल्ला
2. रामरतन
3. रामचन्द्र
4. सांवरलाल पुत्र देवा समस्त जातिगण माली निवासी रामसर तहसील नसीराबाद ,
5. गमल्या पुत्री देवा पत्नि बजरंगलाल जाति माली निवासी रामसर हाल निवासी दादिया तहसील अराई ,
6. राजस्थान सरकार तहसीलदार तहसील नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1, 2, 5 जरियें अधिवक्ता श्री फारूक खत्री
3 व 4 अनुपस्थित, 6 जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

–: आदेश :– दिनांक :– 7/9/22

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के हाल खाता संख्या 740/742 किता 17 रकबा 3.68 की आराजी राजस्व अभिलेख में देवा पुत्र कल्ला के नामखातेदारी दर्ज है। जो कि अप्रार्थी संख्या 1 है। देवा पुत्र कल्ला के वारिस कमशः रामचन्द्र, रामरतन, बंशीलाल, सांवरलाल, रामलाल, कंचन, रेखा, शोभा, गमल्या है। सभी का उक्त आराजी पर 1/10 हिस्सा निहित है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार सदायगी वारिस हकदार हिस्सेदार होने से आराजी मुतनाजा पर अपने हक व हिस्से अनुसार खातेदा[illegible] करने के अधिकारी है। वादग्ररूत सम्पदा पर अप्रार्थीगण अकारण दखलदांजी [illegible] अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषे[illegible] पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर [illegible] नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया [illegible]ग्राम व प0म0 रामसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:42:14 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

तहसील नसीराबाद में स्थित खाता संख्या 740/742 किता 17 रकबा 3.68 की आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी/काश्तकारी की है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख मे देवा पुत्र कल्ला के नाम खातेंदारी दर्ज है। देवा पुत्र कल्ला अप्रार्थी संख्या 1 वर्तमान में जीवित है। वादीगण अप्रार्थी के वारिस है। दावाकृत सम्पदा पुश्तैनी सिद्व नही होती है। आराजी मुतनाजा अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की है तथा अप्रार्थी संख्या 1 उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी व काश्तकारी की होने के कारण प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी को हडपने के उदेश्य से उक्त प्रकरण पेश किया है। प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त व हक नही है। अप्रार्थी संख्या 1 रेकार्डेड खातेदार होने के कारण उसे पाबंद किया जाना न्यायेचित नही है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। दिनांक 27.4.22 को जारी स्थगन आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया प्रस्तुत नजीर का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. प्रथम दृष्टया मामला :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण व शेष अप्रार्थीगण देवा पुत्र कल्ला के वारिस है। प्रार्थीगण का कथन है कि आराजी मुतनाजा पुश्तैनी है जबकि अप्रार्थी का कथन है कि सम्पूर्ण आराजी पुश्तैनी नही है। प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण आराजी को पुश्तैनी सिद्व करने हेतु पर्याप्त दस्तावेज पेश नही किये है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार आराजी मुतनाजा में से हाल खसरा नम्बर 5024, 5047, 5073, 5074, 5145, 5867, 5876, 6395, 7303 व 7304 की आराजी पूर्व राजस्व अभिलेख में कल्ला पुत्र हरदेव के नाम दर्ज है। तथा प्रार्थीगण कल्ला के विधिक वारिस होने से उक्त आराजी पर प्रथू दृष्टया उनका हक व अधिकार सिद्व होता है। किन्तु उक्त आराजी के अतिरिक्त अन्य आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी सिद्व नही होती है। प्रथम दृष्टया मामला सद्भावपूर्वक उठाया गया सारभूत प्रश्न होता है। जिसका गुणावगुण व अन्वेषण के आधार पर विनिश्चय किया जाता है। इसलिये साबित करने का भार प्रार्थी पर है। एवं उक्त विवेचन अनुसार पुश्तैनी भूमि हाल खसरा नम्बर 5024, 5047, 5073, 5074, 5145, 5867, 5876, 6395, 7303 व 7304 पर प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 आराजी मुतनाजा का रिकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थीगण का कथन है कि रेकोर्ड खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 कें हिस्से में दर्ज पुश्तैनी आराजी पर प्रार्थीगण का हक व अधिकार तय करना शेष है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का बैचान किया जाता है तो कई प्रकार के विवाद होगे ऐसी परिस्थितियों में उसके विरूद्व व्यायादेश जारी किया जाना न्या[illegible]गा। शेश तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से सिद्व पुश्तैनी भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 अन्यत्र हस्तांतरण करता है तो मौके पर वाद बहुलता की संभावना से इंकार नही किया सकता। व ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय हानि की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होती है।

——3

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:42:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को हाने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम रामसर के खाता संख्या हाल खसरा नम्बर 5024, 5047, 5073, 5074, 5145, 5867, 5876, 6395, 7303, 7304 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "**स्वीकार**" किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि उक्त आराजी पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे व उक्त आराजी अन्यत्र हस्तांतरण नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:42:14 IST
Reason: SelfAttested